सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में वर्ष 2017–18 में छात्रवृति प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया आरम्भ

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर की राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं (कक्षा 11 एवं 12 के केवल राजकीय शिक्षण संस्थान) के विद्यार्थियों द्वारा विभागीय वेबसाईट **www.sje.rajasthan.gov.in** के **Home Page** पर **New Scholarship Portal** पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाईन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियां
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि	**06 नवम्बर, 2017 (सोमवार)**
2	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि	**31 दिसम्बर, 2017 (रविवार)**

नवीन छात्रवृति पोर्टल 2017-18 पर उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु शीर्ष संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट **www.sje.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

राजस्थान संवाद

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक, जयपुर
ई–मेल: sjerajasthan@yahoo.co.in